



उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड

अल्पसंख्यक कल्याण भवन, भगतसिंह कालोनी, देहरादून 248001

पत्रांक:- /उ0व0बोर्ड /887 विनियमन/2022-23

दिनांक- 06 फरवरी, 2023

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड में पंजीकृत वक्फ सम्पत्तियों जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है अथवा बोर्ड द्वारा नई प्रबन्ध समिति की नियुक्ति की गयी हो, के लिये उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून द्वारा अनुमोदित “उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड विनियमन, 2022” के अध्याय-5 के खण्ड-6(10) में निम्नलिखित व्यवस्था दी गयी है:-

“10-प्रबन्ध समिति/मुतवल्ली अपने कार्यकाल समाप्त होने अथवा हटाये जाने पर वक्फ सम्बन्धी चार्ज अभिलेखों सहित अपने अनुवर्ती समिति/मुतवल्ली को हस्तांतरित करेगी एवं यदि कार्यकाल समाप्त होने पर नई प्रबन्ध समिति की नियुक्ति नहीं हुई तो ऐसी स्थिति में कार्यरत प्रबन्ध समिति ही वक्फ का प्रबन्धन करेगी परन्तु दिन प्रतिदिन के आवश्यक कार्यों के अतिरिक्त कोई भी नीतिगत निर्णय बोर्ड की अनुमति के बिना नहीं करेगी।”

2- अतः उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड विनियमन, 2022 में उल्लिखित नियम का पालन सुनिश्चित किया जाय।

(मुख्तार मोहसिन)

आई०पी०एस०

मुख्य कार्यपालक अधिकारी।

पृष्ठांकन संख्या-1822 तददिनांक।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मा. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड।
2. श्री मामून रशीद, सहायक प्रोग्रामर को इस निर्देश के साथ कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर भी प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
3. समस्त प्रबन्ध समिति/मुतवल्लियों को अनुपालनार्थ प्रेषित।
4. गार्ड फाईल।

9
6/1/23

मुख्य कार्यपालक अधिकारी।